निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति

बी-19, सुभावना निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

फोन : कार्यालय : 27872342 निवास : 27013523, 27022243 मो. : 9810810365 ई-मेल : ncccl2010@gmail.com

संयोजक	संस्थापक चेयरमैन	दक्षिण क्षेत्रीय संचालक	समन्वय
आर. वेंकटरमणी	न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर	आर. गीता	सुभाष भटनागर
वरिष्ठ एडवोकेट-सुप्रीम कोर्ट	भूतपूर्वक न्यायाधीश - सुप्रीम कोर्ट	चेन्नई, तमिलनाडु	एडवोकेट

06-04-2018

I

पृष्ठभूमि

बारह लम्बे सालों तक देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में निर्माण मजदूरों के 1996 के केन्द्रिय कानूनों का लागू किया जाना सुनिश्चित करवाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में 19 मार्च 2018 निर्माण मजदूर अभियान समिति की याचिका (CWP-318/2006) पर अपना निर्णय सुनाया।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को लागू करने के लिये जिम्मेदार केन्द्र, राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश के विभिन्न निकायों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया है जिनकी निष्क्रियता के कारण निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति को 2006 में सर्वोच्च न्यायालय में **निर्माण मजदूरों के 1996 के कानून और सेस एक्ट को अर्थपूर्ण ढंग से लागू करने की गुहार** लगानी पड़ी ताकि इन कानूनों के शब्दों और उनमें निहित उनकी आत्मा को लागू किया जा सके।

सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न शब्दों में अपने निर्णय की शुरूआत की है जिनमें उसका दुःख साफ दीखता है:–

*"प्रतीकात्मक या दिखावटी न्याय – इसके सिवाए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को देने के लिये और कुछ नहीं है, न सामाजिक न्याय और न ही आर्थिक न्याय। कारण सीधा सा है – कोई भी राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश का प्रशासन भारत की संसद द्वारा पारित इन दो कानूनों – **BOCW Act 1996** व **Cess Act 1996** का अक्षरशः पालन करते व इन्हें लागू करने को इच्छुक नहीं है (शायद वो इनका पालन करने में सक्षम ही नहीं हैं)। इस कानून का पालन करने के लिये इस न्यायालय द्वारा समय समय जारी किये गये निर्देशों का ये सरकारें उल्लंघन करती रही हैं, उन्हें सजा का कोई भय नहीं है।"*

*"इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि इन राज्य सरकारों ने और केन्द्रशासित प्रदेश की सरकारों ने **BOCW Act 1996** की धारा 60 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का भी आदर नहीं किया है। इस बात को भारत के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस न्यायालय में स्वीकारा है, बल्कि भारत सरकार ने शपथ पत्र पर यह माना है। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि संविधान और जनतान्त्रिक ढांचे के सन्दर्भ में सामाजिक न्याय व मानवीय अधिकारों के सन्दर्भ स्थिति की इस गम्भीरता को कोई तो, कहीं, कभी समझेगा।"*

चार विशिष्ट निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने चार बहुत महत्त्वपूर्ण और विशिष्ट (specific) निर्देश जारी किये हैं :–

पहला विशिष्ट निर्देश श्रम व रोजगार मंत्रालय को है कि सभी राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश की सरकारें **पंजीकरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये दिया है,** इसमें निर्माण कार्यों और निर्माण मजदूरों दोनों का पंजीकरण शामिल है। यह उनके द्वारा तय किये गये निश्चित समय में और जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिये।

दूसरा विशिष्ट निर्देश श्रम मंत्रालय को, राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश की सरकारों को **सेस एकत्रित करने की व्यवस्था को मजबूत** करने के लिये दिया गया है।

तीसरा विशिष्ट निर्देश केन्द्रिय श्रम मन्त्रालय को एक आदर्श स्कीम विकसित करने के लिये दिया गया है। यह सभी स्टेक होल्डर्स के साथ विचार–विमर्श से किया जाना चाहिये जिसमें उन गैर सरकारी संगठनों को भी शामिल किया जाये जो जमीनी स्तर पर निर्माण मजदूरों के साथ काम कर रहे हैं। कोर्ट ने आशा व्यक्त की है कि श्रम मन्त्रालय **शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बुढ़ापे और विकलांगता पेंशन तथा सम्मान के साथ जीने की अन्य जरूरतें** का इन्तजाम करेगा। अदालत ने यह भी आशा व्यक्त की है कि इस आदर्श स्कीम को निश्चित समय में प्रकाशित कर दिया जायेगा, अगले छह महीने के अन्दर हर हालत में **30 सितम्बर 2018 से पहले**।

चौथा विशिष्ट निर्देश केन्द्रिय श्रम मन्त्रालय को राज्य के केन्द्रशासित प्रदेश की सरकारों से BOCW Act के लागू होने का **सामाजिक ओडिट करवाने के लिये** दिया गया है ताकि आने वाले समय में BOCW Act को बेहतर, ज्यादा असरदार और अर्थपूर्ण तरीके से लागू किया जा सके। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने **CAG द्वारा मनरेगा का सामाजिक लेखा परीक्षण (Audit) करने के लिये तैयार की गई विस्तृत दिशा निर्देश** की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा है कि उन **दिशा निर्देशों को BOCW Act 1996 को लागू करने के सामाजिक आंकलन के अनुरूप सुधार करके अपनाना चाहिए**।

II

नौ आम निर्देश

उपरोक्त चार विशिष्ट निर्देशों के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय ने **नौ आम निर्देश** भी दिये हैं। **पहला आम निर्देश** जिन प्रान्तों व केन्द्रशासित प्रदेशों में सलाहकार समितियाँ नहीं बनाई गई है वहाँ **सलाहकार समितियाँ बनाने का** है। सलाहकार समितियाँ बनाना अधिकांश राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में बाइस साल बाद भी बकाया है।

दूसरा आम निर्देश, जहाँ स्थानीय रूल्स नहीं बनाये गये हैं वहाँ, एक्सपर्ट कमेटी बनाने का है। सभी राज्यों में राज्य व केन्द्रशासित प्रदेश स्तर के नियम बनाये जा चुके हैं और नोटिफाई किये जा चुके हैं। इनके लागू करने के अनुभव के आधार पर **इनमें संशोधन करने का काम** 1996 के BOCW Act की धारा 4 में **राज्य सलाहकार समिति की परिभाषा के अनुसार राज्य समिति** का है। कुछ राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेश में वर्तमान नियमों में संशोधन करने के लिये भी एक्सपर्ट कमेटी बनाई जा रही है जो गलत है।

तीसरा आम निर्देश पंजीकरण अधिकारी नियुक्त करने का है। अधिकांश प्रदेशों व केन्द्रशासित प्रदेश में पंजीकरण अधिकारी नियुक्त किये गये परन्तु शायद **उनकी संख्या काफी नहीं है** इसलिए बाइस साल बाद भी केवल 37 प्रतिशत निर्माण मजदूरों का पंजीकरण हो पाया है और वह भी केवल

एक बार अर्थात् उसमें से अधिकांश पंजीकरण live (सक्रिय) नहीं है। इसलिये **इन 37 प्रतिशत निर्माण मजदूरों में से भी अधिकांश निर्माण मजदूर हिताधिकारी नहीं हैं**।

सभी राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेश में पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति में **कोई एकरूपता भी नहीं है**। इसलिये आवश्यक है कि **केन्द्र सरकार पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति और उनके काम में एकरूपता लाने के लिये भी आवश्यक निर्देश जारी करें** ताकि अगले 2–3 सालों में सभी **100 प्रतिशत सक्रिय live पंजीकरण** और सभी निर्माण कार्यों से उनकी लागत के अनुसार **100 प्रतिशत सेस वसूल करने की व्यवस्था बनायी जा सके**। केन्द्र सरकार को इसके लिये सभी राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेश के अनुभव के आधार पर **सर्वोत्तम** रास्ता अपनाने के निर्देश भी जारी करने चाहिये। **उपयुक्त संख्या में पंजीकरण अधिकारी नियुक्त करने के लिये,** उनकी संख्या **कितनी हो और वे कहाँ–कहाँ होने चाहिये इस पर भी विचार करने की जरूरत है**।

चौथा आम निर्देश निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड को **एक निरन्तर चलने वाली कोरपोरेट बॉडी की तरह गठन करने की व्यवस्था करने का है**। अधिकांश प्रान्तों व केन्द्र शासित प्रदेशों में बोर्ड की भूमिका साल में 2–4 घण्टों की मात्र एक दो बैठकों तक ही सीमित है। **बोर्ड के नाम पर बोर्ड और BOCW Act की समझ के बिना, राज्य श्रम अधिकारी बोर्ड के साधनों के दुरुपयोग में लगे हैं**।

पाँचवां आम निर्देश कल्याण कोष बनाने का है जिसमें **इस कोष के उपयोग के लिये समुचित नियम** बनाने का निर्देश भी शामिल है। यह काम भी **अधिकांश राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों में अधूरी है**। अधिकांश राज्यों ने शायद एक दूसरे के नियमों की नकल मात्र की है जिसमें अकल का प्रयोग बिलकुल भी नहीं किया गया है। इसलिये शुरूआत करने वाले राज्यों के नियमों में इसको कोष की इस्तेमाल के नियमों के अभाव के कारण यह दोष सभी राज्यों में रह गया है। **सभी राज्यों में एक सी व्यवस्था तो केवल केन्द्र सरकार के निर्देश का पालन करने से ही स्थापित हो सकती है**। केन्द्र सरकार पिछले सालों में इस सम्बन्ध में बिना सोचे समझे परस्पर विरोधी (contradictory) आदेश निकालती रही है, और तब तक निकाले गये सभी आदेशों को सितम्बर 2016 में निरस्त भी कर दिया गया है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि **गम्भीरतापूर्वक पिछले सभी आदेशों का मूल्यांकन किया जाये और सर्वोच्च न्यायालय के 19 मार्च 2018 के चार विशिष्ठ निर्देशों के सन्दर्भ में केवल उचित आदेश को पुर्नस्थापित करते हुए अन्य सभी आदेशों को रद्द कर दिया जाये**।

गुजरात BOCW बोर्ड के पास तो आज भी कोई कोष नहीं है। अब तक सम्पूर्ण सेस गुजरात सरकार के एक खाते में जमा होता है जिसका ब्याज भी गुजरात सरकार को ही मिलता है।

छठा आम निर्देश कि **सभी निर्माण मजदूरों का पंजीकरण किया जाये सबसे महत्त्वपूर्ण निर्देश है** जिनका पूरा पालन जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिये। बहुत शर्म की बात है कि 1996 के निर्माण मजदूरों के कानूनों के गठन के 22 साल बाद भी अब तक केवल 37 प्रतिशत निर्माण मजदूरों का केवल एक बार पंजीकरण हुआ है। 2–3 सालों में 100 प्रतिशत पंजीकरण करने और 100 प्रतिशत को सक्रिय (live) रखने के लिये समय से हितलाभ देने की व्यवस्था करने का लक्ष्य बनाने बिना ये काम पूरा नहीं हो सकता।

हाल ही में प्रो. रवि श्रीवास्तव द्वारा किये गये अध्ययन में स्पष्ट है कि 4 प्रतिशत निर्माण मजदूरों के पास ही किसी भी प्रकार के पहचान पत्र उपलब्ध हैं अर्थात् 96 प्रतिशत निर्माण मजदूरों के पास किसी भी प्रकार का कोई भी पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है। इसलिये लम्बे समय में सभी निर्माण मजदूर कल्याण बोर्डों को खुद निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड द्वारा जारी किये गये पहचान पत्र के आधार पर ही निर्माण मजदूरों और उनके परिवार को विभिन्न हितलाभ देने की योजना लागू करनी होगी।

पहचान पत्र और हितलाभों का देना देशव्यापी बनाये बिना अर्थात् पंजीकरण और हितलाभ के वितरण को पूरी तरह portable या देशव्यापी बनाये बिना यह काम पूरा नहीं किया जा सकता। **इसीलिये सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्देश में सभी निर्माण मजदूरों के पंजीकरण के साथ–साथ सभी निर्माण मजदूरों को पहचान पत्र देने का निर्देश भी जोड़ा है इसलिये सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है।** न्यायालय ने **निर्माण मजदूरों को किस तरह चिन्हित किया जाये और किस तरह पंजीकृत किया जाय**, यह निर्णय श्रम मन्त्रालय पर छोड़ा है। न्यायालय की आपेक्षा है कि **निर्माण मजदूर को चिन्हित करने का तरीका प्रभावी और अर्थपूर्ण हो।**

पिछले सालों में कई राज्यों में गैर निर्माण मजदूरों का पंजीकरण करवाकर गैर निर्माण मजदूरों को हितलाभ बाँटने की धांधली को समाप्त करने के लिये और **गैर निर्माण मजदूरों की सभी BOCW बोर्डों से छंटाई करने के लिये** आगामी 18 अप्रैल 2018 की बैठक में तथा इसके बाद एक विस्तृत बैठक में अवश्य रास्ता निकाला जाना चाहिये। इस षड्यंत्र में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये। बिना श्रम अधिकारियों की मिलीभगत के असंगठित क्षेत्र के मजदूर BOCW बोर्डों को लाखों करोड़ों रुपये गबन करने का षड्यंत्र नहीं कर सकते। दोषी श्रम अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई तो वे बोर्ड से गबन करने के और नये रास्ते बनाते रहेंगे। इसलिये बोर्ड के हजारों करोड़ रुपयों के गबन की योजना बनाने वाले श्रम अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और अनुशासनात्मक कार्यवाही यथाशीघ्र करना आवश्यक है।

सातवें आम निर्देश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने निर्माण मजदूरों के लिये **मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 न्यूनतम मजदूरी अधिनियिम,** 1948, **कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,** 1948, **कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम**, 1952 और **महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट**, 2015 के प्रावधान देने की व्यवस्था करने के लिये कहा है।

आठवें आम निर्देश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि रेल विभाग, रक्षा विभाग व अन्य विभाग BOCW Act 1996 के अन्तर्गत आते हैं। **केन्द्रीय सलाहकार समिति की बंगलूरू** और **गोहाटी** में हुई पिछली दो बैठकों में राज्य बोर्ड के प्रतिनिधियों ने बताया था कि रेलवे और रक्षा विभाग के निर्माण कार्यों से उन्हें सेस नहीं प्राप्त हो रहा है।

12 दिसम्बर 2017 के **मोनीटरिंग कमेटी** की बैठक में कुछ राज्यों के श्रम सचिवों द्वारा उनके राज्य के निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड की स्वायत्तता में केन्द्र के निर्देश का विरोध करने की बात उठाई गई थी **जो सर्वथा अनुचित है। निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड का सेस कोष किसी राज्य सरकार का निजी कोष नहीं है। यह कोष विभिन्न राज्यों के निर्माण मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा देने के लिये उन राज्यों के पास धरोहर है जहाँ यह कोष केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और निजी निर्माण कार्यों से निर्माण मजदूर कल्याण सेस के रूप में इकट्ठा किया जाता है।**

केन्द्र सरकार के काम से प्राप्त सेस कोष को अलग एक केन्द्रीय बोर्ड को देने की भी सोच इसी तरह सही नहीं है। केन्द्र सरकार के निर्माण कार्यों पर काम करने वाले निर्माण मजदूर अन्य निर्माण मजदूरों से अलग नहीं होते हैं। **सभी निर्माण मजदूर कभी केन्द्र सरकार के निर्माण कार्य पर काम करते हैं, कभी एक राज्य सरकार के निर्माण कार्य पर काम करते हैं, कभी दूसरी राज्य सरकार के निर्माण कार्य पर काम करते हैं तो कभी निजी निर्माण कार्यों पर काम करते हैं।** इसलिये राज्य निर्माण मजदूर कल्याण बोर्डों द्वारा देशव्यापी पंजीकरण करने और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व निजी निर्माण कार्यों पर काम करने वाले सभी राज्यों के निर्माण मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने की व्यवस्था ही कारगर व्यवस्था है और इसमें फेरबदल की जरूरत नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान देने की बात भी की है कि **निर्माण मजदूर** केवल विकास के ढांचे का ही नहीं **राष्ट्र का निर्माण भी करते हैं**।

निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति की याचिका पर आगामी **1 मई 2018 को सर्वोच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों ने सही समय सीमा तय की है या नहीं।**

नौवें आम निर्देश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने **मोनिटरिंग कमेटी** की बैठक जल्दी–जल्दी करने के लिये कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि **'मोनीटरिंग कमेटी BOCW Act 1996 के प्रावधान में Cess Act और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पूरी तरह पालन करवाना सुनिश्चित करें।**

सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देश दिया गया कि वे अब तक एकत्रित सेस कोष के प्रबंध की व्यवस्था करे। निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति का **सुझाव** है कि सब निर्माण मजदूरों का पंजीकरण हो जाने पर ही सब निर्माण मजदूरों की उम्र इत्यादि की जानकारी के आधार पर बोर्ड के काम के बारे में धारा 22 के अन्तर्गत दी गई छह योजनाओं पर कितना कोष आवंटित करने की जरूरत है इसका अध्ययन किया जा सकेगा। तब तक के लिये **निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति का सुझाव है कि धारा 22** में दी गई सात उपधाराओं के लिये **संलग्नित तालिका** में **दिये गये प्रतिशत में सेस का आवंटन करने का निर्देश केन्द्र सरकार को जारी करना चाहिये।**

a)	दुर्घटना होने पर तुरन्त सहायता के लिए	5%
b)	पेंशन	20%
c)	अपना घर बनाने के लिए, उधार देने के लिये व औजार के लिए	10%
d)	सामूहिक बीमा	10%
e)	शैक्षिक सहायता	20%
f)	स्वास्थ्य सहायता	20%
g)	मातृत्व लाभ	
h)	अन्य	10%
	प्रशासनिक (धारा 24.3 के अनुसार कुल खर्च का 5% तक)	5%
	कुल	**100%**

III

27 मार्च 2017 – निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति की राष्ट्रीय बैठक

निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने 27 मार्च 2018 को दिल्ली में एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित की जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये **4 विशिष्ट** और नौ आम निर्देशों को **देश में कैसे लागू करवाया जाये** इस पर विचार किया। इस बैठक में, जिसमें 15 प्रान्तों के प्रतिनिधि शामिल थे, केन्द्र सरकार के श्रम मन्त्रालय द्वारा **18 अप्रैल 2018 को आयोजित केन्द्रिय सलाहकार समिति और सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेश के निर्माण मजदूर कल्याण बोर्डों के प्रतिनिधियों की बैठक** में NCC-CL को आमन्त्रित करने का एक अनुरोध पत्र केन्द्र सरकार व इस बैठक के आयोजकों को देने का निर्णय लिया है। यदि निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति को 18–4–2018 की आगामी बैठक में नहीं बुलाया गया तो भी 18–4–2018 को दिल्ली में निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति की एक बैठक आयोजित की जाएगी जो देश के विभिन्न भागों में निर्माण मजदूरों की यात्राएं आयोजित करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे ताकि देश भर में 1996 के निर्माण मजदूरों के कानून को लागू करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के अनुरूप केन्द्र व राज्य सरकारों का कदम उठवाने के लिये जन चेतना अभियान चलाया जा सके।

सभी प्रान्तों में कार्यरत निर्माण मजदूरों की ट्रेड यूनियनों से, जिन्होंने 1985 से पहले से लेकर अब तक कभी भी निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति के साथ जुड़ना शुरू किया हो, उन सबसे अनुरोध है कि वे **निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति** के मंच पर एकजुट हो और इसे सशक्त करें। तभी देश भर के निर्माण मजदूर सुनिश्चित कर सकेंगे कि 1996 के निर्माण मजदूरों के कानून कम से कम 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद से देश भर में सुचारू रूप से लागू हो, अगले दो सालों भी सभी निर्माण मजदूरों का हिताधिकारी व कल्याण फण्ड के सदस्य की तरह पंजीकरण हो, सभी पंजीकृत निर्माण मजदूरों का पंजीकरण सक्रिय live रखने के लिये समय से हितलाभ का वितरण होने लगे, सभी निर्माण कार्यों का भी पंजीकरण हो, सभी निर्माण कार्यों से पूरा सेस एकत्रित होने लगे, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार केन्द्र सरकार देशभर के लिये **एक आदर्श योजना विकसित करे** ताकि सभी प्रान्तों में पोर्टेबल–राष्ट्रव्यापी पंजीकरण हो, राष्ट्रव्यापी, हितलाभ मिले और सभी प्रान्तों के हितलाभों में एकरूपता हो, सामाजिक लेखा परीक्षा की शुरूआत हो ताकि देश भर में गैर निर्माण मजदूरों की बोर्ड से छंटाई की जा सके, ताकि देश भर के भ्रष्ट श्रम अधिकारियों को निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड से अलग रखा जा सके इत्यादि।

उपरोक्त सभी काम निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति को सशक्त किये बिना सम्भव नहीं हो सकता। उपरोक्त लक्ष्य की प्राप्ति में आपके सहयोग की आशा के साथ।

आपका

सुभाष भटनागर